

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

जयनारायण मीणा आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी उनियारा

उनयान

1. प्रहलाद पुत्र हरिनारायण जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक

1/1. मथुरालाल पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

1/2. हनुमान पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

1/3. काली पत्नी मांगीलाल पुत्री प्रहलाद प्रहलाद जाति मीणा निवासी खोहल्या

1/4. बदाम पत्नी रामकिशन पुत्री प्रहलाद प्रहलाद जाति मीणा निवासी खोहल्या

1/5. मथूरा पत्नी रामस्वरूप पुत्री प्रहलाद प्रहलाद जाति मीणा निवासी खोहल्या

2. जमनालाल पुत्र हरिनारायण जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

वादीगण

बनाम

1. रामकूरी पुत्री ओंकार जाति मीणा बेवा माधो निवासी देवली तहसील उनियारा

2. भूली बेवा कानजी जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

3. पाँची पुत्री कानजी जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

4. रमेशी पुत्री कानजी जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

5. राजाराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

6. रामनिवास पुत्र हरनारायण जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

7. तुलसीराम पुत्र खेमा जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा

8. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरुरती इन्चाज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 97 वर्ष 2000

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रुबरु उप खण्ड अधिकारी उनियारा हाजरी श्री बी०यू० खान वकील प्रतिवादी मिनजातिव श्री पुरुषोत्तम चतुर्वेदी मुदालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि आराजी ख०न० 150 रकबा 0.44, 153 रकबा 0.37, 141 रकबा 0.53, 790 रकबा 0.70 वाके ग्राम परवन का जमनालाल पुत्र हरनारायण व मथुरालाल हनुमान पि० प्रहलाद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख०न० 656 रकबा 0.40, 795 रकबा 0.81 है० वाके ग्राम परवन का मथुरालाल, हनुमान पि० प्रहलाद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख०न० 660 रकबा 0.47 है० वाके ग्राम परवन का जमनालाल पुत्र हरनारायण मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख०न० 182 रकबा 1.31, 169 रकबा 0.12 है० वाके ग्राम परवन का रामनिवास पुत्र हरनारायण व तुलसीराम पि० खेमा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख०न० 659 रकबा 0.50 है० वाके ग्राम परवन का रामनिवास पुत्र हरनारायण मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख०न० 658 रकबा 0.45, 42 रकबा 0.74 है० का

सत्य प्रतीक

5

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर

23/9/09
अधिकारी
मीणा ()

तुलसीराम पुत्र खेमा मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0न0 18 रकबा 0.45, 319 रकबा 0.38, 655 रकबा 1.83, 192 रकबा 1.04, 764 रकबा 2.30 है0 वाके ग्राम परवन का राजाराम दत्तक पुत्र कानजी, भूली पत्नी कानजी, पाँची व रमेशी पुत्रियां कानजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी ख0 न0 167 रकबा 1.50 हैक्टर वाके ग्राम परवन का मथरालाल व हनुमान पि0 प्रहलाद को हिस्सा 1/4, जमनालाल पुत्र हरनारायण मीणा को हिस्सा 1/4, रामनिवास पुत्र हरनारायण को हिस्सा 1/4 व तुलसीराम पुत्र खेमा मीणा को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चाह ख0न0 322 रकबा 0.02 है0 मे 1/3 हिस्से का जमनालाल पुत्र हरनारायण, मथूरालाल व हनुमान पि0 प्रहलाद को तथा 1/4 हिस्से का रामनिवास पुत्र हरनारायण व तुलसीराम पुत्र खेमा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0न0 319 रकबा 0.38 चाह मे राजाराम दत्तक पुत्र कानजी, भूली पत्नी कानजी, पाँची व रमेशी पुत्रियां कानजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम खोहल्या की आराजी ख0न0 96 रकबा 0.91, 323 रकबा 0.09, 535 रकबा 0.13, 542 रकबा 0.85 कुल किता 4 कुल रकबा 1.98 है0 का राजाराम दत्तक पुत्र कानजी, भूली पत्नी कानजी, पाँची व रमेशी पुत्रियां कानजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपत्ता अपना वहन करे।

बसख्त मे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 9 सन 2009 को जारी की गई ।

उप खण्ड अधिकारी

उनियारा

...

सत्य प्रतिनिधि
उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजस्ट्रेट उनियारा

ना. क्र. संख्या 526

दि. 25.6.15 द्वारा
शाय खोख्या की भूमि
का नाठकरण इज कर
दिया गया है

(सिद्ध)
सि. खोख्या
25.6.15